प्राक्कथन

मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार की गई है।

इस प्रतिवेदन में कृषि शिक्षा और अनुसंधान, कृषि विपणन और कृषि विदेशी व्यापार, आवास और शहरी योजना, चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण, चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण और वक्फ, जेल प्रशासन और सुधार सेवाएं, ग्राम्य विकास, क्रीड़ा, तकनीकी शिक्षा, शहरी विकास और व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभागों सहित प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले समूहों के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार के विभागों के निष्पादन और अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित प्रकरण वे हैं, जो 2021-22 की अवधि के लिए नमूना-लेखापरीक्षा के समय अथवा पूर्व के वर्षों में सज्ञान में आए थे परंतु विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित नहीं किए जा सके थे; जहां भी आवश्यक हो वर्ष 2021-22 के बाद की अवधि से संबंधित प्रकरणों को भी प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई।